The Uttar Pradesh Public Bhu-Grahadi (Apradhikrit Adhyasiyon ki Bedakhali) Adhiniyam, 1972

Act 22 of 1972

Keyword(s):
Nigamit Pradhikaran, Bhu-Grahadi, Vihit, Vihit Pradhikari, Sarvajanik Bhu-Grahadi

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

1 4 5 4 0 5

L. H.
1572-22
C.P. 3

(उत्तर प्रदेश के असाधारण गजट दिनांक 1 मई, 1972 में प्रकाशित)

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972*

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22, 1972)

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

विधान पुस्तकालय
(राजकीय प्रकाशन)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

सार्वजनिक भू-गृहादि से अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली करने और कतिपय आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तेइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

संक्षिप्त नाम तथा प्रसार

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

परिभाषाएं

2--जब तक कि प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो इस अधिनियम में,--

(क) "निगमित प्राधिकरण" का तात्पर्य इस धारा के खण्ड (ङ) में अभिदिष्ट किसी कम्पनी, स्थानीय प्राधिकरण, निगम या सोसाइटी से है;

(ख) "भू-गृहादि" का तात्पर्य किसी भूमि (जिसके अन्तर्गत कोई वन भूमि या उस पर लगे हुए वृक्ष, अथवा जलाच्छादित भूमि, या राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित कोई सड़क अथवा ऐसी सड़क से संलग्न भूमि भी है), या किसी भवन अथवा किसी भवन के भाग से है, और इसके अन्तर्गत,--

(1) उक्त भवन या भवन के भाग के अनुलग्न उद्यान, मैदान तथा वाह्य-गृह यदि कोई हो, भी हैं, और

(2) उक्त भवन या उसके भाग में उसके और अधिक लाभकारी उपयोग के लिए लगाये गये कोई फिटिंग्स या फिक्सचर्स अथवा उसके लिए दिया गया कोई फर्नीचर भी है;

किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसी भूमि नहीं है जो यूनाइटेड प्राविंसेज टेनेंसी, ऐक्ट 1939, 1950 ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1956, जौनसार-बावर जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1956, कुमायूं तथा उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1960, उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953, अथवा उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के अधीन तत्समय--

(1) किसी गांव सभा अथवा किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्ध में निहित हो या सौंपी गई हो, अथवा

(2) किसी खातेदार द्वारा धृत हो;

(ग) "विहित" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित से है;

(घ) "विहित प्राधिकारी" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किसी अधिकारी से है;

(ङ) "सार्वजनिक भू-गृहादि" का तात्पर्य किसी ऐसे भू-गृहादि से है जो, राज्य सरकार का हो या उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से पट्टे पर लिया गया या अधिगृहीत किया गया हो, और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा भू-गृहादि भी है, जो--

1956 का अधिनियम

(1) कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 3 में यथापरिभाषित किसी ऐसी कम्पनी जिसमें कम से कम इक्यावन प्रतिशत दत्त अंश पूंजी राज्य सरकार द्वारा धृत हो; या

---

*संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय द्वारा विधेयक पर 28 अप्रैल, 1972 ई० को अनुमति प्रदान की गई।

(2) किसी स्थानीय प्राधिकरण; या

(3) उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन स्थापित और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी ऐसे निगम (जो कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 3 में यथापरिभाषित कम्पनी या कोई स्थानीय प्राधिकरण न हो); या

(4) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी, जिसके शासी निकाय में, सोसाइटी के नियमों या विनियमों के अधीन, पूर्णतः लोक अधिकारी, या राज्य सरकार के नामांकिती, अथवा दोनों हों;

का हो या उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से पट्टे पर लिया गया हो, और इसके अन्तर्गत--

(1) कोई ऐसा भू-गृहादि भी है जो किसी स्थानीय प्राधिकरण को सौंपा गया हो (जिसके अन्तर्गत ऐसे स्थानीय प्राधिकरण को भूमि सौंपे जाने के पश्चात् राज्य सरकार की भूमि पर सरकारी निधियों से बनाया गया कोई भवन भी है);

(2) कोई भू-गृहादि जो भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन राज्य सरकार की सहमति से किसी कम्पनी के लिए (जैसा उक्त अधिनियम में परिभाषित है) अर्जित किया गया हो और उस कम्पनी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 41 के अधीन निष्पादित ऐसे अनुबन्ध के अधीन धृत हो, जिसमें कतिपय दशाओं में राज्य सरकार द्वारा पुनः प्रवेश करने की व्यवस्था हो;

(च) किसी सार्वजनिक भू-गृहादि के सम्बन्ध में, "किराया" का तात्पर्य उक्त भू-गृहादि के प्राधिकृत अध्यासन के लिए निश्चित अन्तरालों में देय प्रतिफल से है, और इसके अन्तर्गत--

(1) भू-गृहादि में अध्यासन करने के सम्बन्ध में बिजली, पानी या किसी अन्य सेवा के लिए अथवा किसी सम्भारित वस्तु क लिए कोई परिव्यय;

(2) भू-गृहादि के सम्बन्ध में देय कोई दर (चाहे उसका कुछ भी नाम हो) भी है, यदि ऐसा परिव्यय या कर राज्य सरकार अथवा निगमित प्राधिकरण द्वारा देय हो;

(छ) किसी सार्वजनिक भू-गृहादि के सम्बन्ध में, "अप्राधिकृत अध्यासन" का तात्पर्य किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसे सार्वजनिक भू-गृहादि का अध्यासन के प्राधिकार के बिना अध्यासन करने से है, और इसके अन्तर्गत किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक भू-गृहादि पर उस प्राधिकार के (जो चाहे अनुदान के तौर पर हो अथवा अन्तरण की किसी अन्य पद्धति से हो) जिसके अधीन अथवा उस हैसियत के जिसमें उसे भू-गृहादि पर अध्यासन करने की अनुज्ञा दी गई थी, समाप्त हो गया हो, अथवा किसी कारण से समाप्त कर दी गई हो, के पश्चात् अध्यासन बनाये रखना भी है, और इसके अन्तर्गत धारा 7 की उपधारा (1) में उल्लिखित परिस्थितियों में अध्यासन बनाये रखना भी है, और किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में केवल इस कारण से कि उसने किराये के रूप में किसी धनराशि का भुगतान कर दिया है, यह नहीं समझा जायगा कि उसका अध्यासन प्राधिकृत है।

3--राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा--

विहित प्राधिकारियों की नियुक्ति

(क) ऐसे व्यक्तियों को जो राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी हों अथवा निगमित प्राधिकरण के तत्समान श्रेणी के अधिकारी हों, जिन्हें वह उचित समझे, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ विहित प्राधिकारी नियुक्त कर सकेगी; और

(ख) ऐसी स्थानीय सीमायें अथवा सार्वजनिक भू-गृहादि की श्रेणियां निर्धारित कर सकती है जिनके भीतर अथवा जिनके सम्बन्ध में विहित प्राधिकारी इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन विहित प्राधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, और उन पर आरोपित कर्त्तव्यों का पालन करेंगे।

बेदखली के आदेश के विरुद्ध कारण बताने का नोटिस जारी करना

4--(1) यदि विहित प्राधिकारी की स्वयं अथवा राज्य सरकार या निगमित प्राधिकरण की ओर से प्राप्त आवेदन-पत्र या प्रतिवेदन पर, यह राय हो कि जिन्हीं व्यक्तियों का किन्हीं सार्वजनिक भू-गृहादि पर अप्राधिकृत अध्यासन है, और उन्हें बेदखल किया जाना चाहिये, तो विहित प्राधिकारी एतद्पश्चात् उपबन्धित रीति से एक लिखित नोटिस जारी करेगा जिसमें ऐसे सभी सम्बन्धित व्यक्तियों से यह कारण बताने को कहा जायगा कि बदखली का आदेश क्यों न दिया जाय।

(2) नोटिस में--

(क) वे आधार बताये जायेंगे जिन पर बेदखली का आदेश देने का प्रस्ताव हो; और

(ख) सभी सम्बन्धित व्यक्तियों से अर्थात्, उन सभी व्यक्तियों से जो सार्वजनिक भू-गृहादि का अध्यासन कर रहे हैं या कर रहे हों, अथवा जो उनमें हित का दावा करें, प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध ऐसे दिनांक को या उसके पूर्व, जो नोटिस में निर्दिष्ट किया जाय, और जो उसके जारी किय जाने के दिनांक से दस दिन से पूव का न हो, कारण बतान की, यदि कोई हो, अपेक्षा की जायगी।

(3) विहित प्राधिकारी उस नोटिस को उन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों पर व्यक्तिगत रूप से अथवा सार्वजनिक भू-गृहादि के बाहरी दरवाजे या उसके किसी अन्य सहजदृश्य भाग पर लगा कर और किसी अन्य रीति से जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में उल्लिखित है तामील करायेगा।

(4) यदि विहित प्राधिकारी यह जानता हो अथवा उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि किन्हीं व्यक्तियों का सावजनिक भू-गृहादि पर अध्यासन है, तो उप-धारा (3) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वह नोटिस की एक प्रति प्रत्येक ऐस व्यक्ति पर रजिस्ट्री डाक द्वारा या उस व्यक्ति को प्रदान करके अथवा प्रस्तुत करके या ऐसी अन्य रीति से, जो विहित की जाय, तामील करायेगा।

अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली

5--(1) यदि धारा 4 के अधीन नोटिस के अनुसरण में किसी व्यक्ति द्वारा बताये गये कारण पर, यदि कोई हो, और किसी ऐस साक्ष्य पर, जिसे वह उसके समर्थन में प्रस्तुत करे, विचार करने के पश्चात तथा उसे सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात्, विहित प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि सार्वजनिक भू-गृहादि पर अप्राधिकृत अध्यासन है, तो विहित प्राधिकारी बेदखली का आदेश दे सकेगा जिसमें उसके कारण अभिलिखित किये जायेंगे और यह निदश होगा कि उन सार्वजनिक भू-गृहादि को उन सभी व्यक्तियों द्वारा, जिनका उस पर या उसके किसी भाग पर अध्यासन हो, ऐसे दिनांक को, जो आदेश में निर्दिष्ट किया जाय, खाली कर दिया जायगा, और उस आदेश की एक प्रति उस सार्वजनिक भू-गृहादि के बाहरी दरवाजे या उसके किसी अन्य सहजदृश्य भाग पर लगवायेगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति बेदखली के आदेश का, उप-धारा (1) के अधीन उसके प्रकाशन के दिनांक से तीस दिन के भीतर, अनुपालन करने से इन्कार करे या अनुपालन न करे, तो विहित प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा तदर्थ यथाविधि प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी उक्त व्यक्ति को उस सार्वजनिक भू-गृहादि से बेदखल कर सकेगा और उन पर कब्जा ले सकेगा, और उस प्रयोजन के लिए इतने बल का प्रयोग कर सकेगा जितना आवश्यक हो।

सार्वजनिक भू-गृहादि पर अप्राधिकृत अध्यासियों द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति का निस्तारण

6--(1) यदि कोई व्यक्ति धारा 5 के अधीन किन्हीं सार्वजनिक भू-गृहादि से बेदखल कर दिया गया हो, तो विहित प्राधिकारी उन व्यक्तियों को, जिनके कब्ज से सार्वजनिक भू-गृहादि को लिया गया हो, कम से कम चौदह दिन का नोटिस देने के पश्चात् और उस नोटिस को कम से कम एक ऐसी समाचार-पत्र में जिसका उस परिक्षेत्र में परिचालन हो, प्रकाशित करने के पश्चात् उन भू-गृहादि पर रह गई किसी सम्पत्ति को, जिसके अन्तर्गत गिराये गये किसी भवन का मलवा अथवा एकत्रित न की गई कोई फसल या फलों के वृक्ष भी हैं, हटा सकेगा या हटवा सकेगा अथवा सार्वजनिक नीलाम द्वारा उसका निस्तारण कर सकेगा।

(2) यदि कोई सम्पत्ति उपधारा (1) के अधीन बेची जाय, तो उसके विक्रय-आगम का, उसमें से विक्रय व्यय और राज्य सरकार या निगमित प्राधिकरण को बकाया किराया, क्षतिपूर्ति या व्यय के मद्दे देय धनराशि, यदि कोई हो, काटने के पश्चात् भुगतान ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को किया जायगा जो विहित प्राधिकारी को उसे पाने के हकदार प्रतीत हों:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि विहित प्राधिकारी यह विनिश्चय करने में असमर्थ हो कि किस व्यक्ति या किन व्यक्तियों को शष धनराशि देय है अथवा उसका किस प्रकार अभिभाजन किया जाय, तो वह ऐसे विवाद को सक्षम अधिकारिता युक्त सिविल न्यायालय को अभिदिष्ट कर सकेगा और उस पर उस न्यायालय का विनिश्चय अन्तिम होगा।

सार्वजनिक भू गृहादि के संबंध में किराया या क्षतिपूर्ति का भुगतान कराने का अधिकार

7--(1) यदि किसी व्यक्ति पर किन्हीं सार्वजनिक भू-गृहादि के सम्बन्ध में देय किराया 4 माह का बकाया हो, तो विहित प्राधिकारी आदेश द्वारा, उस व्यक्ति से ऐसे समय के भीतर और ऐसी किस्तों में, जो आदेश में निर्दिष्ट की जायं, बकाये का भुगतान करने की अपेक्षा कर सकेगा, और उस व्यक्ति द्वारा उसका अथवा उसकी किसी किस्त का भुगतान न करने पर यह समझा जायगा कि सार्वजनिक भू-गृहादि पर उसका अप्राधिकृत अध्यासन है।

(2) यदि किसी व्यक्ति का किन्हीं सार्वजनिक भू-गृहादि पर अप्राधिकृत अध्यासन है अथवा किसी समय रहा हो, तो विहित प्राधिकारी क्षतिपूर्ति निर्धारण करने के उन सिद्धान्तों का ध्यान रखत हुए, जो विहित किये जायं, ऐसे भू-गृहादि के प्रयोग तथा अध्यासन के लेखे क्षति की धनराशि

का निर्धारण कर सकेगा और, आदेश द्वारा, उस व्यक्ति से ऐसे समय के भीतर और ऐसी कि ों में, जो आदेश में निर्दिष्ट की जायं, उस धनराशि के भुगतान करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(3) किसी व्यक्ति के विरुद्ध उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायगा जब तक कि उस व्यक्ति को ऐसी लिखित नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् जिसमें उससे ऐसे समय के भीतर, जो नोटिस में निर्दिष्ट किया जाय, यह कारण बताने को न कहा गया हो कि ऐसा आदेश क्यों न दिया जाय, और जब तक कि उसकी आपत्तियों पर, यदि कोई हों, और किसी साक्ष्य पर, जिसे वह उनके समर्थन में प्रस्तुत करे, विहित प्राधिकारी द्वारा विचार न कर लिया जाय।

विहित प्राधिकारी के अधिकार

8—निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन कोई जांच करने या किसी अपील की सुनवाई करने के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी तथा अपील अधिकारी को निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में वे शक्तियां प्राप्त होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात्:—

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसे हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) दस्तावेज का प्रकटीकरण और उन्हें प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(ग) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाय।

अपील

9—(1) धारा 5 या धारा 7 के अधीन किन्हीं सार्वजनिक भू-गृहादि के सम्बन्ध में विहित प्राधिकारी के प्रत्येक आदेश की अपील, अपील अधिकारी को होगी, जो उस जिले का जिसमें सार्वजनिक भू-गृहादि स्थित हों जिला न्यायाधीश अथवा ऐसा न्यायिक अधिकारी होगा, जो सिविल न्यायाधीश के पद से कम न हो, जिसे जिला न्यायाधीश तदर्थ पदाभिहित करे।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई अपील—

(क) धारा 5 के अधीन किसी आदेश से अपील की दशा में, उस धारा की उपधारा (1) के अधीन उस आदेश के प्रकाशन के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर, और

(ख) धारा 7 के अधीन किसी आदेश से अपील की दशा में, उस दिनांक से जब अपीलार्थी को आदेश संसूचित किया जाय, पन्द्रह दिन के भीतर,

की जायगी:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि अपील अधिकारी का यह समाधान हो जाय कि अपीलार्थी पर्याप्त कारण से नियत समय के भीतर अपील निर्वेशित नहीं कर सका तो वह अपील को पन्द्रह दिन की उक्त कालावधि के पश्चात् भी ग्रहण कर सकेगा।

(3) यदि विहित प्राधिकारी के किसी आदेश से अपील की जाती है तो अपील अधिकारी उस आदेश का प्रवर्तन ऐसी कालावधि के लिए और ऐसी शर्तों पर, जिन्हें वह उचित समझे, रोक सकेगा।

(4) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील, अपील अधिकारी द्वारा यथाशक्य शीघ्र निपटाई जायेगी।

(5) इस धारा के अधीन किसी अपील के खर्चे अपील अधिकारी के विवेकाधीन होंगे।

(6) जिला न्यायाधीश उपधारा (1) के अभिदिष्ट किसी न्यायिक अधिकारी के समक्ष विचाराधीन किसी अपील को वापस ले सकता है और या उसका निस्तारण स्वयं कर सकता है या उसका अन्तरण उक्त उप धारा में अभिदिष्ट किसी अन्य न्यायिक अधिकारी को कर सकता है।

आदेशों की अन्तिमता

10—इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबन्धित व्यवस्था को छोड़ कर, इस अधिनियम के अधीन विहित प्राधिकारी या अपील अधिकारी द्वारा किया गया प्रत्येक आदेश अन्तिम होगा और उसपर किसी मूल वाद, आवेदन-पत्र या निष्पादन कार्यवाही में आपत्ति नहीं की जा सकेगी और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई भी व्यादेश नहीं दिया जायगा।

अपराध तथा शास्ति

11—(1) यदि कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन किन्हीं सार्वजनिक भू-गृहादि से बेदखल किया गया हो, उन भू-गृहादि पर फिर से अध्यासन, ऐसे अध्यासन के लिए बिना किसी प्राधिकार के, कर ले, तो वह कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकती है, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) कोई मजिस्ट्रेट जो उप-धारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को सिद्धदोष, ठहराये उस व्यक्ति को सरसरी तौर से बेदखल करने का आदेश दे सकेगा और किसी अन्य कार्यवाही पर, जो उसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन की जा सकती हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वह व्यक्ति इस प्रकार बेदखल किये जाने का भागी होगा ।

सूचना प्राप्त करने का अधिकार

12—यदि विहित प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि किन्हीं व्यक्तियों का किन्हीं सार्वजनिक भू-गृहादि पर अप्राधिकृत अध्यासन है, तो विहित प्राधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी उन व्यक्तियों या किसी अन्य व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकता है कि उन व्यक्तियों के, जिनका उक्त सार्वजनिक भू-गृहादि पर अध्यासन हो, नामों तथा अन्य ब्यौरों के सम्बन्ध में सूचना प्रस्तुत करें और प्रत्येक व्यक्ति, जिससे ऐसी अपेक्षा की गयी हो, ऐसी सूचना जो उसके पास हो, देने के लिये बाध्य होगा ।

दायादों तथा विधिक प्रतिनिधियों के दायित्व

13—(1) यदि किसी व्यक्ति की, जिसके विरुद्ध बकाया किराये के अवधारण के लिये अथवा क्षतिपूर्ति के निर्धारण के लिये कोई कार्यवाही की जानी हो अथवा की गयी हो, उस कार्यवाही के प्रारम्भ होने से पूर्व या उसके लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो जाय, तो कार्यवाही उस व्यक्ति के वारिसों या विधिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध की जा सकेगी, या यथास्थिति, जारी रखी जा सकेगी ।

(2) किसी व्यक्ति द्वारा राज्य सरकार या निगमित प्राधिकरण को देय धनराशि, चाहे वह बकाया किराये या क्षतिपूर्ति अथवा व्यय के रूप में हो, का भुगतान, उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात्, उसके वारिसों या विधिक प्रतिनिधियों द्वारा किया जायगा, किन्तु उनका दायित्व मृतक की परिसम्पत्तियों, जो उनको प्राप्त हुए हों और जिनका यथाविधि निस्तारण न किया गया हो, के परिमाण तक ही सीमित होगा ।

मालगुजारी की बकाया के रूप में किराये आदि की वसूली

14—यदि कोई व्यक्ति, धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन देय बकाया किराये या उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन देय क्षति की धनराशि अथवा धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन राज्य सरकार या निगमित प्राधिकरण को दिलाये गये खर्चे अथवा ऐसे किराये, क्षति की धनराशि या खर्चे के किसी भाग का, उससे संबंधित आदेश में निर्दिष्ट समय के भीतर, यदि कोई हो, भुगतान करने से इनकार करे या भुगतान न करे तो विहित प्राधिकारी कलेक्टर को देय धनराशि के बारे में एक प्रमाण-पत्र जारी कर सकेगा, जो मालगुजारी की बकाया के रूप में उसकी वसूली के लिए कार्यवाही करेगा ।

अधिकारिता का वर्जन

15—किसी ऐसे व्यक्ति की बेदखली के सम्बन्ध में, जिसका किसी सार्वजनिक भू-गृहादि पर अप्राधिकृत अध्यासन है, या धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन देय बकाया किराये अथवा उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन देय क्षतिपूर्ति या धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन राज्य सरकार अथवा निगमित प्राधिकरण को दिलाये गये व्यय या ऐसे किराये, क्षतिपूर्ति अथवा व्यय के किसी भाग की वसूली के सम्बन्ध में किसी वाद या कार्यवाही को ग्रहण करने की अधिकारिता किसी न्यायालय को नहीं होगी ।

सद्भावना से किये गये कार्य का संरक्षण

16—राज्य सरकार या निगमित प्राधिकरण या अपील अधिकारी या विहित प्राधिकारी के विरुद्ध ऐसी किसी भी बात के सम्बन्ध में जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम अथवा दिये गये किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावना से की गयी हो या की जाने के लिए आशयित हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी ।

सरकार या निगमित प्राधिकरण एक पक्ष होगा

17—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन प्रत्येक कार्यवाही में, यथास्थिति, राज्य सरकार या निगमित प्राधिकरण एक पक्ष होगा ।

(2) विशेषतया, और उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यथास्थिति, राज्य सरकार या निगमित प्राधिकरण को साक्ष्य प्रस्तुत करने और साक्षियों का प्रतिपरीक्षण करने, और विहित प्राधिकारी के ऐसे आदेश के विरुद्ध, जिसमें धारा 5 के अधीन बेदखली का आदेश देने से इनकार किया गया हो या जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा किराया अथवा क्षति की धनराशि के भुगतान कराये जाने के लिये धारा 7 के अधीन इनकार किया गया हो, धारा 9 के अधीन अपील करने का अधिकार होगा ।

नियम बनाने की शक्ति

18—(1) राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है ।

(2) विशेषतया, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकेगी, अर्थात्—

(क) इस अधिनियम के अधीन दी जाने के लिये अपेक्षित या प्राधिकृत किसी नोटिस का प्रपत्र और वह रीति जिसमें उसकी तामील की जा सकेगी;

(ख) इस अधिनियम के अधीन जांच करना;

(ग) विहित प्राधिकारियों में कार्य का वितरण और आवंटन और एक विहित प्राधिकारी के समक्ष लम्बित किसी कार्यवाही का दूसरे विहित प्राधिकारी को अंतरण;

(घ) सार्वजनिक भू-गृहादि पर कब्जा लेने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(ङ) वह रीति जिसमें अप्राधिकृत अध्यासन के लिए क्षति की धनराशि निर्धारित की जा सकेगी और वे सिद्धान्त जिनका ऐसी क्षतिपूर्ति का निर्धारण करने में ध्यान रखा जायगा;

(च) वह रीति जिसमें अपीलें की जा सकेंगी और अपीलों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(छ) कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाना हो या जिसे विहित किया जाय।

(3) इस धारा के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, कुल चौदह दिन की कालावधि के लिए, जो एक सत्र या दो आनुक्रमिक सत्रों में पूर्ण हो सकती है, रखे जायेंगे, और यदि, उक्त अवधि में दोनों सदन किसी नियम में कोई परिष्कार करने के लिए सहमत हों अथवा दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हों कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् वह नियम केवल ऐसे परिष्कृत रूप में प्रभावी होगा अथवा प्रभावी नहीं रहेगा, जैसी भी दशा हो, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन उक्त नियम के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

निरसन तथा पारिणामिक संशोधन

19—(1) निम्नलिखित अधिनियमितियां एतद्द्वारा निरस्त की जाती हैं, अर्थात्—

(क) उत्तर प्रदेश सरकारी भू-गृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) अधिनियम, 1952;

(ख) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानिपूर्ति की वसूली) अधिनियम, 1959;

(ग) उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह-व्यवस्था अधिनियम, 1955 की धारायें 9, 19, 21, 23, 24, 24-क, 24-ख, 24-ग, 24-घ, 24-ङ, 24-च, 25 और 27;

(घ) उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा 69, 70, 71-क और 72;

(ङ) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 372 की उपधारा (2);

(च) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि तथा भू-गृहादि विधि (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, 1970 की धारा 33, 34, तथा 35;

(2) उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह-व्यवस्था अधिनियम, 1955 में—

(क) धारा 7 में शब्द "बेदखली" के स्थान पर शब्द "बेदखली करवाने" रख दिये जायं;

(ख) धारा 22 में, उपधारा (1) में शब्द तथा अंक "अथवा धारा 21 की उपधारा (2)" निकाल दिये जायं;

(ग) धारा 28 में, उपधारा (2) में, खण्ड (छ) में शब्द तथा अंक "अथवा धारा 21 की उपधारा (2)" और खण्ड (झ) निकाल दिये जायं।

(3) उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 में—

(क) धारा 64 में, उपधारा (1) में, खण्ड (घ) में शब्द तथा अंक "और अध्याय 7" निकाल दिये जायं;

(ख) धारा 68 का प्रतिबन्धात्मक खण्ड निकाल दिया जाय;

(ग) धारा 96 की उपधारा (4) निकाल दी जाय।

(4) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 में, धारा 129-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:—

महापालिका के भू-गृहादि के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1966 के अध्याय 7 का लागू किया जाना

"129-क—उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 के अध्याय 7 के उपबन्ध किसी ऐसे भू-गृहादि के सम्बन्ध में जो महापालिका के हों या उसमें निहित हों अथवा महापालिका द्वारा पट्टे पर लिये गये हों, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त अधिनियम में यथापरिभाषित 'परिषद् के भू-गृहादि' के सम्बन्ध में लागू होते हों और उसमें परिषद् तथा उक्त अधिनियम के अधीन नियत विषयों के लिये किये गये अभिदेश क्रमशः महापालिका तथा इस अधिनियम के अधीन विहित विषय के लिए किये गये अभिदेश समझे जायेंगे।"

(5) यूनाइटेट प्राविन्सेज म्यूनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 में धारा 120-ए के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"120-ए—उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 के अध्याय 7 के उपबन्ध किसी ऐसे भू-गृहादि के सम्बन्ध में, जो बोर्ड के हों या उसमें निहित हों अथवा बोर्ड द्वारा पट्टे पर लिये गये हों, इस ऐक्ट के प्रयोजनों के लिए उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त अधिनियम में यथापरिभाषित 'परिषद् के भू-गृहादि' के संबंध में लागू होते हों और उसमें परिषद् तथा उक्त अधिनियम के अधीन नियत विषय के लिए किये गये अभिदेश क्रमशः इस ऐक्ट में यथा परिभाषित बोर्ड तथा इस ऐक्ट में नियत विषय के लिए किये गये अभिदेश समझे जायेंगे।"

बोर्ड के भू-गृहादि के संबंध में उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1966 के अध्याय 7 का लागू किया जाना

(6) यूनाइटेड प्राविन्सेज टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, 1919 में—

(क) धारा 57 में, शब्द, अंक तथा अक्षर "और उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 के अध्याय 7 जैसा कि वह धारा 95—क के अन्तर्गत ट्रस्ट के भू-गृहादि पर लागू है, धारा 95—ए में अभिदिष्ट कृत्यों का सम्पादन करने के लिए भी," निकाल दिये जायं ;

(ख) धारा 95—क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्—

"95—क—उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 के अध्याय 7 के उपबन्ध किसी ऐसे भू-गृहादि के संबंध में जो ट्रस्ट के हों या उसमें निहित हों अथवा ट्रस्ट द्वारा पट्टे पर लिये गये हों, इस ऐक्ट के प्रयोजनों के लिए उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त अधिनियम में यथापरिभाषित 'परिषद् के भू-गृहादि' के सम्बन्ध में लागू होते हों और उसमें परिषद् तथा उक्त अधिनियम के अधीन नियत विषय के लिए किये गये अभिदेश क्रमशः ट्रस्ट तथा इस ऐक्ट के अधीन नियत विषय के लिए किये गये अभिदेश समझे जायंगे।"

ट्रस्ट के भू-गृहादि के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1966 के अध्याय 7 का लागू किया जाना

व्यावृत्ति

20—(1) किसी न्यायालय या प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, धारा 19 की उपधारा (1) में अभिदिष्ट किन्हीं भी अधिनियमितियों के अधीन (जिन्हें आगे इस धारा में निरस्त अधिनियमितियां कहा गया है) किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही (जिसके अन्तर्गत बनाये गये नियम, दिये गये आदेश, जारी की गई नोटिसें, आदेशित या निष्पादित बेदखली, निर्धारित क्षति की धनराशि, वसूल किया गया किराया या क्षति की धनराशि या खर्चा और प्रारम्भ की गई कार्यवाहियां भी हैं) अथवा इस आशय से किया गया कार्य या की गई कार्यवाही वैध और प्रभावी समझी जायगी मानों कि इस अधिनियम की धारा 15 के उपबन्ध आवश्यक परिष्कारों के साथ निरस्त अधिनियमितियों के भाग के रूप में प्रारम्भ में ही अधिनियमित किये गये थे, और तदनुसार,—

(क) किसी निरस्त अधिनियमिति के अधीन वसूल किये गये किसी किराये या क्षति की धनराशि या खर्चे की वापसी के लिए, यदि ऐसी धनराशि को वापस करने के लिए केवल इस आधार पर दावा किया गया हो कि उक्त निरस्त अधिनियमिति असंवैधानिक तथा शून्य घोषित कर दी गयी है, किसी न्यायालय में कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही न तो संधारित की जायगी और न जारी रखी जायगी;

(ख) कोई न्यायालय किसी ऐसी डिग्री या आदेश को, जिसमें किसी निरस्त अधिनियमिति के अधीन वसूल किये गये किराये या क्षति की धनराशि या खर्चे को केवल इस आधार पर वापस करने के लिए आदेश दिया गया हो कि उक्त निरस्त अधिनियमिति असंवैधानिक तथा शून्य घोषित कर दी गयी है, प्रवृत्त न करेगा;

(ग) किन्हीं सार्वजनिक भू-गृहादि से किसी अप्राधिकृत अध्यासी को बेदखल करने के लिए या ऐसे भू-गृहादि का अध्यासन करने के निमित्त किराया अथवा क्षति की धनराशि की वसूली के लिये या उपर्युक्त कार्यवाहियों के खर्चे की वसूली के लिए इस अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही या अन्य कार्य को केवल इस आधार पर करने के वर्जित न किया जायेगा कि निरस्त अधिनियमिति के अधीन तत्सदृश्य कार्यवाही या अन्य कार्य असंवैधानिक तथा शून्य घोषित कर दिये गये हैं और उक्त आधार पर किसी न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश द्वारा प्रतिषिद्ध कर दिये गये हैं।

(2) किसी न्यायालय या प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिग्री या आदेश के होते हुये भी, और धारा 15 या धारा 19 में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व किसी निरस्त अधिनियमिति के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा धारा 15 में उल्लिखित किसी भी अनुतोष के लिए किसी न्यायालय में संस्थित या आरम्भ की गयी तथी प्रारम्भ की जाने के लिए आशयित

और उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि तथा भू-गृहादि विधि (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, 1970 (जिसे आगे इस धारा में 1970 का अधिनियम कहा गया है) के प्रारम्भ होने पर या तो प्रारम्भिक न्यायालय या किसी अपील या पुनरीक्षण न्यायालय में अथवा ऐसे प्राधिकरण के समक्ष लम्बित वाद या अन्य कार्यवाही का विहित प्राधिकारी को अन्तरण हो जायगा, और तदुपरान्त विहित प्राधिकारी इस अधिनियम के संगत उपबन्ध के अधीन कार्यवाही के रूप में उसका निस्तारण करेगा, और किसी ऐसी कार्यवाही में--

(क) विहित प्राधिकारी उस प्रक्रम से, जहां से उस वाद या कार्यवाही का अन्तरण हो, अग्रेतर कार्यवाही कर सकता है और उक्त प्रयोजन के लिये अन्तरण के पूर्व ऐसे वाद या कार्यवाही में जारी किये गये किसी समन या नोटिस, निर्वेशित लिखित वक्तव्य या उत्तर अथवा प्रस्तुत साक्ष्य को, इस अधिनियम के संगत उपबन्ध के अधीन अपने द्वारा जारी की गयी नोटिस, या, यथास्थिति, अपने समक्ष बताया गया कारण अथवा प्रस्तुत साक्ष्य मान सकेगा,

(ख) उत्तर प्रदेश सरकारी भू-गृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) अधिनियम, 1952 की धारा 10 और उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानि-पूर्ति की वसूली) अधिनियम, 1959 की धारा 7 का 1970 के अधिनियम द्वारा निरसन किये जाने के पूर्व उक्त धारा 10 के अधीन जिला न्यायाधीश (डिस्ट्रिक्ट जज) को अथवा उक्त धारा 7 के अधीन सिविल न्यायाधीश (सिविल जज) के समक्ष अभिदिष्ट कोई आपत्ति स्वयं विहित प्राधिकारी द्वारा निर्णीत की जायगी, और उक्त धाराओं के अधीन कोई अभिदेश, वाद या अपील उपशमित हो जायगी:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व कोई ऐसा अभिदेश, वाद या अपील निर्णीत की जा चुकी है तो विहित प्राधिकारी उस निर्णय के अनुसार कार्य करेगा, जो, धारा 9 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अंतिम समझा जायगा।

निरसन तथा अपवाद

21—(1) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अध्यादेश, 1972 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई क्रिया, इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गई क्रिया समझी जायेगी मानों यह अधिनियम 2 मार्च, 1972 को प्रवृत्त हो गया था।

उत्तर ... अध्यादेश संख्या ... 1972

THE UTTAR PRADESH PUBLIC PREMISES (EVICTION OF UNAUTHORISED OCCUPANTS) ACT, 1972*

(U. P. Act No. 22 of 1972)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

An
ACT

to provide for the eviction of unauthorised occupants from public permises and for certain incidental matters

It is hereby enacted in the Twenty-Third Year of the Republic of India as follows :

Short title and extent.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1972.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

Definitions.

2. In this Act unless the context otherwise requires,—

(*a*) "corporate authority" means any company, local authority, corporation or society referred to in clause (*e*) of this section ;

*Received the assent of the President under Article 201 of the Constitution of India on April 28, 1972.

(*b*) "premises" means any land (including any forest land or trees standing thereon, or covered by water, or a road maintained by the State Government or land appurtenant to such road) or any building or part of a building and includes,—

(i) the garden, grounds and out-houses, if any, appertaining to such building or part of a building, and

(ii) any fittings or fixture affixed to or any furniture supplied with such building or part of a building for the more beneficial enjoyment thereof ;

but does not include land which for the time being,—

(i) is vested in or entrusted to the management of a Gaon Sabha or any other local authority ; or

(ii) is held by a tenure-holder, under the United Provinces Tenancy Act, 1939, the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, the Uttar Pradesh Urban Areas Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1956, the Jaunsar-Bawar Zamindari Abolition and Land Reforms, Act, 19 6, the Kumaun and Uttarakhand Zamindari Abolition and Land Reforms, Act, 1960, the Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act, 19 3 or the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960 ;

(*c*) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(*d*) "prescribed authority" means an officer appointed as prescribed authority by the State Government under section 3;

(*e*) "public premises" means any premises belonging to or taken on lease or requisitioned by, or on behalf of, the State Government, and includes any premises belonging to, or taken on lease by, or on behalf of—

(i) any company as defined in section 3 of the Companies Act, 1956, in which not less than fifty-one per cent of the paid-up share capital is held by the State Government;

(ii) any local authority ; or

(iii) any corporation (not being a company as defined in section 3 of the Companies Act, 1956 or a local authority) established by or under an Uttar Pradesh Act and owned or controlled by the State Government ; or

(iv) any society registered under the Societies Registration Act, 1860, the governing body whereof consists, under the rules or regulations of the society, wholly of public officers, or nominees of the State Government, or both ;

and also includes—

(i) any premises entrusted to the management of a local authority (including any building built with Government funds on land belonging to the State Government after the entrustment of the land to the local authority) ;

(ii) any premises acquired under the Land Acquisition Act, 1894 with the consent of the State Government for a company (as defined in that Act) and held by that company under an agreement executed under section 41 of that Act providing for re-entry by the State Government in certain conditions ;

(*f*) "rent" , in relation to any public premises, means the consideration payable periodically for the authorised occupation of the premises, and includes—

(i) any charge for electricity, water or any other services or any other thing supplied in connection with the occupation of the premises,

(ii) any tax (by whatever name called) payable in respect of the premises,

where such charge or tax is payable by the State Government or the corporate authority ;

(g) "unauthorised occupation", in relation to any public premises, means the occupation by any person of the public premises without authority for such occupation, and includes the continuance in occupation by any person of the public premises after the authority (whether by way of grant or any other mode of transfer) under which or the capacity in which he was allowed to hold or occupy the premises has expired or has been determined for any reason whatsoever, and also includes continuance in occupation in the circumstances specified in sub-section (1) of section 7, and a person shall not, merely by reason of the fact that he had paid any amount as rent, be deemed to be in authorised occupation.

Appointment of prescribed authorities.

3. The State Government may, by notification in the official *Gazette*—

(a) appoint such persons, being gazetted officers of the State Government or officers of equivalent rank of the corporate authority, as it thinks fit, to be prescribed authorities for the purposes of this Act ; and

(b) define the local limits within which, or the categories of public premises in respect of which, the prescribed authorities shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed, on prescribed authorities by or under this Act.

Issue of notice to show-cause againt order of eviction.

4. (1) If the prescribed authority, either of its own motion or on an application or report received on behalf of the State Government or the corporate authority, is of opinion that any persons are in unauthorised occupation of any public premises and that they should be evicted, the prescribed authority shall issue in the manner hereinafter provided a notice in writing calling upon all persons concerned to show cause why an order of eviction should not be made.

(2) The notice shall—

(a) specify the grounds on which the order of eviction is proposed to be made ; and

(b) require all persons concerned, that is to say, all persons who are, or may be, in occupation of, or claim interest in, the public premises, to show cause, if any, against the proposed order on or before such date as is specified in the notice, being a date not earlier than ten days from the date of issue thereof.

(3) The prescribed authority shall cause the notice to be served either personally on all those persons concerned or by having it affixed on the outer door or some other conspicuous part of the public premises and in any other manner, provided in the Code of Civil Procedure, 1908.

(4) Where the prescribed authority knows or has reasons to believe that any persons are in occupation of the public premises, then, without prejudice to the provisions of sub-section (3), he shall cause a copy of the notice to be served on every such person by registered post or by delivering or tendering it to that person or in such other manner as may be prescribed.

Eviction of unauthorised occupants.

5. (1) If, after considering the cause if any, shown by any person in pursuance of a notice under section 4 and any evidence he may produce in support of the same and after giving him a reasonable opportunity of being heard, the prescribed authority is satisfied that the public premises are in unauthorised occupations, the prescribed authority may make an order of eviction, for reasons to be recorded therein, directing that the public premises shall be vacated, on such date as may be spedified in the order, by all persons who may be in occupation thereof or any part thereof, and cause a copy of the order to be affixed on the outer door or some other conspicuous part of the public premises.

(2) If any person refuses or fails to comply with the order of eviction within thirty days of the date of its publication under sub-section (1), the prescribed authority or any other officer duly authorised by the prescribed authority in this behalf may evict that person from, and take possession of, the public premises and may, for that purpose, use such force as may be necessary.

Disposal of property left on public premises by un-ahtorised occupants.

6. (1) Where any persons have been evicted from any public premises under section 5, the prescribed authority may, after giving not less than fourteen days' notice to the persons from whom possession of the public premises has been taken and after publishing the notice in at least one newspaper having circulation in the locality, remove or cause to be removed or dispose of by public auction any property remaining on such premises, including any material of a demolished building or ungathered crop or fruits of trees.

(2) Where any property is sold under sub-section (1), the sale proceeds thereof shall, after deducting the expenses of the sale and the amount, if any, due to the State Government or the corporate authority, on account of arrears of rent or damages or costs, be paid to such person or persons as may appear to the prescribed authority to be entitled to the same :

Provided that where the prescribed authority is unable to decide as to the person or persons to whom the balance of the amount is payable or as to the apportionment of the same, it may refer such dispute to the civil court of competent jurisdiction and the decision of the court thereof shall be final.

Power to require payment of rent or damages in respect of public premises.

7. (1) Where any person is in arrears of rent for four months payable in respect of any public premises, the prescribed authority may, by order, require that person to pay the same within such time and in such instalments as may be specified in the order, and on the failure of such person to pay the same or any instalment thereof he shall be deemed, to be in unauthorised occupation of the public premises.

(2) Where any person is, or has at any time been, in unauthorised occupation of any public premises, the prescried authority may, having regard to such principles of assessment of damages as may be prescribed, assess the amount of damages on account of the use and occupation of such premises and may, by order, require that person to pay the amount within such time and in such instalments as may be specified in the order.

(3) No order under sub-section (1) or sub-section (2) shall be made against any person until after the issue of a notice in writing to the person calling upon him to show cause within such time as may be spedified in the notice, why such order should not be made, and until his objections, if any, and any evidence he may produce in support of the same have been considered by the prescribed authority.

Powers of prescribed authority.

8. The prescribed authority and the appellate officer shall, for the purpose of holding any inquiry or hearing any appeal under this Act, have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908, when trying a suit in respect of the following matters, namely—

(*a*) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath ;

(*b*) requiring the discovery and production of documents ;

(*c*) any other matter which may be prescribed.

Appeals.

9. (1) An appeal shall lie from every order of the prescribed authority made in respect of any public premises under section 5 or section 7 to an appellate officer who shall be the District Judge of the district in which the public premises are situate or such other judicial officer not below the rank of Civil Judge as the District Judge may designate in this behalf.

(2) An appeal under sub-section (1) shall be preferred—

(*a*) in the case of an appeal from an order under section 5, within fifteen days from the date of publication of the order under sub-section (1) of that section ; and

(*b*) in the case of an appeal from an order under section 7, whithin fifteen days from the date on which the order is communicated to the appellant :

Provided that the appellate officer may entertain the appeal after the expiry of the said period of fifteen days, if he is satisfied that theappellant was prevented by sufficient cause from filling the appeal in time.

(3) Where an appeal is preferred from an order of the prescribed authority, the appellate officer may stay the enforcement of that order for such period and on such conditions as he deems fit.

(4) Every appeal under this section shall be disposed of by the appellate officer as expeditiously as possible.

(5) The cost of any appeal under this section shall be in the discretion of the appellate officer.

(6) The District Judge may withdraw any appeal pending with any judicial officer referred to in sub-section (1) and either dispose of the same or transfer it to any other judicial officer referred to in that su-section.

Finality of orders.

10. Save as otherwise expressly provided in this Act, every order made by a prescribed authority or appellate officer under this Act shall be final and shall not be called in question in any original suit application or execution proceeding and no injunction shall be granted by any court or other authority in respect of any action taken or to be taken in pursuance of any power conferred by or under this Act.

Offences and penalty.

11. (1) If any person who has been evicted from any public premises under this Act again occupies the premises without authority for such occupation, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

(2) Any Magaistrate convicting a person under sub-section (1) may make an order for evicting that person summarily and such person shall be liable to such eviction without prejudice to any other action that may be taken against him under this Act.

Power to obtain information.

12. If the prescribed authority has reason to believe that any persons are in unauthorised occupation of any public premises, the prescribed authority or any other officer authorised by it in this behalf may require those persons or any other person to furnish information relating to the names and other particulars of the persons in occupation of the public premises and every person so required shall be bound to furnish the information in his possesion.

Liability of heirs and legal representatives.

13. (1) Where any person against whom any proceeding for the determination of arrears of rent or for the assesment of damages is to be or has been taken dies before the proceeding is taken or during the pendency thereof, the proceeding may be taken or, as the case may be, continued against the heirs or legal representatives of that person.

(2) Any amount due to the State Government or the corporate authority from any person whether by way of arrears of rent or damages or costs shall, after the death of the person be payable by his heirs or legal representatives but their liability shall be limited to the extent of the assets of the deceased that come into their hands and have not been duly disposed of.

Recovery of rent, etc., as an arrear of land revenue.

14. If any person refuses or fails to pay the arrears of rent payable under sub-section (1) of section 7 or the damages payable under sub-section (2) of that section or the costs awarded to the State Government or the corporate authority under sub-section (5) of section 9 or any portion of such rent, damanges or costs, within the time if any, specified therefor in the order relating hereto, the prescribed authority may issue a certificate for the amount due to the Collector who shall proceed to recover the same as an arrear of land revenue.

Bar of jurisdiction.

15. No court shall have jurisdiction to entertain any suit or proceeding in respect of the eviction of any person who is in unauthorised occupation of any public premises or the recovery of the arrears of rent payable under sub-section (1) of section 7 or the damages payable under sub-section (2) of that section or the costs awarded to the State Government or the corporate authority under sub-section (5) of section 9 or any portion of such rent, damages or costs.

Protection of action taken in good faith.

16. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government or the corporate authority or the appellate officer or the prescribed authority in respect of anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or of any rules or orders made thereunder.

Government or corporate authority to be a party.

17. (1) The State Government or the corporate authority, as the case may be, shall be a party to every proceeding under the provisions of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (1), the State Government or the corporate authority, as the case may be, shall have a right to produce evidence and corss-examine witnesses and to prefer an appeal under section 9 against an order of the prescribed authority refusing to make an order of eviction under section 5 or to make an order under section 7 requiring a person to pay rent or damages.

Power to make rules.

18. (1) The State Government may, by notifiction in the Official *Gazette*, make rules for carrying out the purpose of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power such rules may provide for all or any of the following matters, namely—

(*a*) the form of any notice required or authorised to be given under this Act and the manner in which it may be served;

(*b*) the holding of inquiries under this Act;

(*c*) the distribution and allocation of work to prescribed authorities and the transfer of any proceeding pending before a prescribed authority to another prescribed authority ;

(*d*) the procedure to be followed in taking possession of public premises ;

(*e*) the manner in which damages for unauthorised occupation may be assessed and the principles which may be taken into account in assessing such damages ;

(*f*) the manner in which appeals may be preferred and the procedure to be followed in appeals ;

(*g*) any other matter which has to be or may be prescribed.

(3) Every rule made under this section shall be laid as soon as may be after it is made, before each House of State Legislature while it is in session for a a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in the successive sessions and if, during the said period both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made the rule shall thereafter having effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

Repeal and consequential amendments.

19. (1) The following enactments are hereby repealed, namely—

(*a*) the Uttar Pradesh Government Premises (Rent Recovery and Eviction) Act, 1952 ;

(*b*) the Uttar Pradesh Public Land (Eviction and Recovery of Rent and Damages) Act, 1959 ;

(*c*) sections 9, 19, 21, 23, 24, 24-A, 24-B, 24-C, 24-D, 24-E, 24-F, 25 and 27 of the Uttar Pradesh Industrial Housing Act, 1955 ;

(*d*) sections 69, 70, 71-A, and 72 of the Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965 ;

(*e*) sub-section (2) of section 372 of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959 ;

(*f*) sections 33, 34, and 35 of the Uttar Pradesh Public Land and Premises Laws (Amendment and Validation) Act, 1970.

(2) In the Uttar Pradesh Industrial Housing Act, 1955—

(*a*) in section 7 *for* the word "eviction" the words "securing the eviction" shall be *substituted* ;

(*b*) in section 22, in sub-section (1), the words and fiugres "or sub-section (2) of section 21" shall be *omitted* ;

(*c*) in section 28, in sub-section (2), the words and figures "or sub-section (2) of section 21" in clause (vii), and clause (ix), shall be *omitted.*

(3) In the Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965—

(*a*) in section 64, in sub-section (1), in clause (*d*), the words and figure "and Chapter VII" shall be *omitted* ;

(*b*) in section 68, the proviso thereto shall be *omitted* ;

(*c*) in section 96, sub-section (4) shall be *omitted.*

(4) In the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959, *for* section 129-A the following section shall be *substituted*, namely :

Appliction of Chapter VII of Act I of 1966 to Mahapalika premises.

"129-A The provisions of Chapter VII of the Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965, shall apply in relation to any premises belonging to or vesting in the Mahapalika or taken on lease by the Mahapalika for the purposes of this Act as they apply in relation to 'Board premises' as defined in that Act and the references therein to the Board and matters prescribed under that Act shall respectively be construed as references to the Mahapalika and matters prescribed under this Act."

(5) In the United Provinces Municipalities Act, 1916, *for* section 120-A, the following section shall be *substituted*, namely :

"120-A. The provisions of Chapter VII of the Uttar Pradesh Avas Evan Vikas Parishad Adhiniyam, 1965, shall aply in relation to any premises belonging to or vesting in the Board or taken on lease by the Board for the purposes of this At as they apply in relation to 'Board premises' as defined in that Act and the references therein to the Board as defined in that Act and to matters prescribed under that Act shall respectively be constructed as references to the Board as defined in this Act and to matters prescribed in this Act."

Application of Chapter VII of U. P. Act I of 1966 to Board premises.

(6) In the United Provinces Town Improvement Act, 1919—

(*a*) in section 57, the words, figures and letters "and also for performing the functions referred to in Chapter VII of the Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965, as applicable to Trust premises under section 95-A", shall be *omitted* ;

(*b*) *for* section 95-A, the following section shall be *substituted*, namely :

"95-A. The provisions of Chapter VII of the Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965, shall apply in relation to any premises belonging to or vesting in the Trust or taken on lease by the Trust for the purposes of this Act as they apply in relation to 'Board premises' as defined in that Act and references therein to the Board and to matters prescribed under that Act shall be construed respectively as references to the Turst and to matters prescribed under this Act."

Application of Chapter VII of Act I 1966 to Trust premises.

Validation.

20. (1) Notwithstanding any judgement, decree or order of any court or authority anything done or action taken (including rules or orders made, notices issued, evictions ordered or effected, damages assessed, rents or damages or costs recovered and proceedings initiated) or purported to have been done or taken under any of the enactments referred to in sub-section (1) of section 19 (hereafter in this section referred as the repealed enactments) shall be deemed to be as valid and effective as if the provisions of section 15 of this Act with necessary modifications had been enacted initially as a part of the repealed enactment, and accordingly,—

(*a*) no suit or other legal proceeding shall be maintained or continued in any court for the refund of any rent or damages or costs recovered under any repealed enactment where such refund has been calimed merely on the ground that the said repealed enactment has been declared to be undconstitutional and void ;

(*b*) no court shall enforce a decree or order directing the refund of any rent or damages or costs recovered under any repealed enactment merely on the ground that the said repealed enactment has been declared to be unconstitutional and void ;

(*c*) the taking of any proceeding or other action under this Act for the eviction of any unauthorised ouccpant from any pulic premises or for the recovery of rent or damages for the occupation of such premises or for recovery of costs of such proceedings, shall not be barried merely on the ground that like proceeding or other action under the repealed enactment has been declare to be unconstitutional and void and has on that ground been prohibited by any decree or order of any court.

(2) Notwithstanding any judgement, decree or order of any court or authority, and notwithstaning anything contained in section 15 or section 19, any suit or other proceeding for any of the reliefs mentioned in section 15 instituted in any court or initiated or purported to be initiated by any authority under a repealed enactment before the commencement of this Act, and pending at the commencement of the Uttar Pradesh Public Land and Premises Laws (Amendment and Validation) Act, 1970 (hereafter in this section referred to as the 1970 Act), either in the court of first instance or in any court of appeal or revision or before such authority, shall stand transferred to the prescribed authority, and the prescribe authority shall thereupon dispose of the same as a proceeding under the relevant provision of this Act, and in any such proceeding—

(*a*) the prescribed authority may proceed further from the stage from which the suit or proceeding is transferred, and may for that purpose treat any summons or notice issued, written statement on reply filed or

evidence adduced in such suit or proceeding before the transfer, as notice issued by itself, or, as the case may be, cause shown or evidence adduced before itself, under the revant provision of this Act;

(*b*) any objection referred to the Ditrict Judge under section 10 of the Uttar Pradesh Government Premises (Rent, Recovery and Eviction) Act, 1952 or before the Civil Judge under section 7 of the Uttar Pradesh Public Land (Eviction and Recovery of Rent and Damages) Act, 1959, before those sections were repealed by the 1970 Act shall be decided by the prescribed authority itself and any reference, suit or appeal under the said sections shall abate :

Provided that where any such reference, suit or appeal has been decided before the coming into force of this Act the prescribed authority shall act according to such decision, which, subject to the provisions of section 9, shall be deemed to be final.

Repeal and Saving U. P. Ordinance no. 2 of 1972.

21. (1) The Uttar Pradesh Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupations) Ordinance, 1972, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Act as if this Act had come into force on March 2, 1972.

बी०एस०यू०पी०—ए० पी०—14 जनरल प्रार—7,000 (मे०) ।

UTTAR PRADESH SARKAR
VIDHAYI ANUBHAG-1

No. 698(2)/LXXIX-V-1–08-1(Ka)62-2007
Dated Lucknow, May 01, 2008

NOTIFICATION
Miscellaneous

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sarvajanik Bhoogrihadi (Apradhikrit Adhyasiyon Ki Bedakhali) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2007 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 15 of 2008) promulgated by the Governor :—

THE UTTAR PRADESH PUBLIC PREMISES (EVICTION OF UNAUTHORISED OCCUPANTS) (AMENDMENT) ACT, 2007

(U.P. ACT NO. 15 OF 2008)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1972.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-eighth Year of the Republic of India as follows :-

Short title, extent and commencement

1(1) This Act may be called the Uttar Pradesh Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) (Amendment) Act, 2007.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall be deemed to have come into force on May 1, 1972.

Amendment of section 2 of U.P. Act no 22 of 1972

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1972, in clause (e) the following provisions shall be *inserted* at the end and be deemed to have always been *inserted*, namely :—

"but does not include, the Public Premises which are under the Administrative control of the Estate Department and which are occupied by,–

(a) a Minister of the Government of Uttar Pradesh or a person given rank of a minister;

(b) a Member of Parliament, a Member of Legislative Assembly or the Legislative Council of Uttar Pradesh;

(c) a non-Government organization, whether incorporated or registered or not,

(d) a political party not recognized by the Election Commission of India;

(e) a society registered under the Societies Registration Act, 1860, a trust registered under the Indian Trusts Act, 1888 or any Trade Union registered under the Trade Unions Act or any employees', association or any body of persons, whether incorporated or not;

(f) any outfit or frontal or other organization of a Political Party, whether recognized or not.

(g) any person who is not government servant, or who is allotted the Public Premises by virtue of his being office bearer or representative of a Society, Trust or any body of persons, whether incorporated or not."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Estate Department of the State Government is the manager of certain public premises, which are under occupation of various classes of ineligible persons. The said premises are needed for public purpose and the State Government is of the opinion that in view of the acute shortage of public premises, the said public purpose is not being fulfilled.

Since the State Government is under an obligation to provide suitable accommodation and offices to several classes of eligible persons and organization and the procedure for eviction prescribed under the Uttar Pradesh Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1972 is cumbersome and time consuming and is not appropriate for certain classes of building/occupants, it has become necessary for State Government to get such public premises as are occupied by the persons/organisations not eligible for such occupation be vacated to fulfill the said obligation.

2. Keeping in view of the above problem it has been considered expedient to exclude such Public Premises as are under the administrative control of the Estate Department and which are in occupation of non-official, non-governmental organisations, trusts, political parties etc., from the purview of the Uttar Pradesh Public Premises (Eviction of unauthorised occupants) Act, 1972 (U.P. Act No. XXII of 1972) and to take necessary action to evict unauthorised occupants. It has, therefore, been decided to amend the said Act to provide for the exclusion of the residential premises allotted to Ministers, Members of Parliament, Legislatures, non-governmental organisation, trusts, non-officials, political parties and such other persons who do not come in the field of eligibility.

The Uttar Pradesh Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) (Amendment) Bill, 2007 is introduced accordingly.

By order,
P.V. KUSHWAHA,
Sachiv.

पी0एस0यू0पी0-ए0 पी0 66 राजपत्र(हि0)-(158)-2008-597 प्रतिवां-(कम्प्यूटर/आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0-ए0 पी0 5 सा0 विधायी-(159)-2008-850 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।